

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(2)राज/वाद/12

जयपुर दिनांक. 13-2-2019

आदेश

विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(1)न्याय/16 दिनांक 24.01.19 द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली, जिला जयपुर व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां का नाम परिवर्तित कर क्रमशः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं01 कोटपूतली, जिला जयपुर व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं01 बारां किया गया है।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.01.19 के क्रम में उक्त न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी हेतु सृजित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, कोटपूतली, जिला जयपुर व अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक बारां का नाम परिवर्तित कर क्रमशः अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 कोटपूतली, जिला जयपुर व अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 बारां एतद्वारा किया जाता है।

आज्ञा से

हूँ

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी (वाई) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला एवं बारां।
5. अपर जिला न्यायाधीश सं01 कोटपूतली, जिला जयपुर एवं सं01 बारां।
6. जिला कलक्टर, जयपुर एवं बारां।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
8. कोषाधिकारी, जयपुर एवं बारां।
9. संबंधित कार्यालय।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. लेखाधिकारी वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि